राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3855/2025

संजय कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि एंव लेखा परीक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर।
4. नवल किशोर जाटव, सहायक लेखा अधिकारी–I, वर्तमान में जिला परिषद (पंचायत सेल) भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 26.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में सहायक लेखा अधिकारी–I के पद पर नियुक्त किया गया था और राजसमंद कोष कार्यालय में पदस्थापित किया गया था और क्रम में अपीलार्थी ने 17.4.1995 को अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद समय–समय पर विभिन्न स्थानों पर उसका स्थानांतरण होता रहा और वर्तमान में वह दिनांक 8.6.2018 से अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं लेखा परीक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर में अत्यंत संतुष्टि और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। अपीलार्थी की जन्म तिथि 26.10.1965 है और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी दिनांक 31.10.2025 से सेवा से सेवानिवृत हो जायेगा, जो कि 17.2.2025 के आदेश से स्पष्ट है। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.1.2025 के आदेश (अनुलग्नक–2) के तहत अपीलार्थी को उसकी वर्तमान नियुक्ति स्थल से उसकी सेवानिवृत्ति के 9 महीने पहले, बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता और रुचि के, केवल किसी भी सार्वजनिक प्रतिवादी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान

पर समायोजित करने के लिए, जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, भरतपुर कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 111 पर और प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 112 पर है। अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए दिनांक 16.1.2025 को प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि अपीलार्थी दिनांक 30.10.2025 से सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक न तो उसके अभ्यावेदन पर विचार किया है और न ही निर्णय लिया है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्ति श्रीमती सरोज विजय, सहायक लेखा अधिकारी–I को दिनांक 22.1.2025 के आदेश द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु 9 माह शेष रहने के कारण स्थानांतरण निरस्त कर दिया। दिनांक 15.1.2025 के विवादित स्थानांतरण आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1442/2025 दायर की। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायाल में देवेंद्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य रिट याचिका संख्या 1775/2025 दायर की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.1.2025 को सभी रिट याचिकाओं पर आदेश पारित किया तथा सक्षम अधिकारी को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने तथा ऊपर दिए गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, जहां भी आवश्यक हो, नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी। अधिकरण ने भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आदेश दिनांक 14.02.2015 पारित किया (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने बिना कोई नया आदेश पारित किए दिनांक 07.8.2025 के आलौच्य आदेश (अनुलग्नक–1) माननीय उच्च न्यायाल की डीबी स्पेशल अपील संख्या 678/2025 में पारित 29.7.2025 स्थगन आदेश की आड़ में 15.1.2025 के स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में सभी स्थानांतरित सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–I को कार्यमुक्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डी.बी. विशेष अपील संख्या 678/2025 में आदेश दिया, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1775/2025 में पारित दिनांक 28.1.2025 के प्रभाव और प्रवर्तन पर रोक लगा दी गई और सभी स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। इस समय, उनके मामले में, उनकी सेवानिवृत्ति में केवल 2 महीने शेष हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने उनके सेवानिवृत्ति आदेश से पूर्व दिनांक 7.8.2025 के आदेश को चुनौती दी है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 के (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 07.08.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन और अन्य लाभों के साथ अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि और लेखा परीक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर के

कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–I के पद पर निरंतर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दायर अपील 1442/2025 अधिकरण के आदेश दिनांक 14.02.2025 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 के मध्यनजर निस्तारित की गई। आलौच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि DB Special Appeal Writ No. 678/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका एसबीसीडब्ल्यू पिटिशन संख्या 1775/2025 में पारित आदेश पर आदेश दिनांक 29.07.2025 द्वारा स्टे कर दिया, जिस कारण कार्यमुक्ति आदेश जारी किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि उसकी सेवानिवृति में मात्र 2 माह का समय शेष रहा है। उसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर से जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, भरतपुर में कर दिया गया है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश द्वारा अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर से जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, भरतपुर में स्थानान्तरण उसके समकक्ष पद पर पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी को एक ही जिला मुख्यालय पर एक ही कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। इसलिए हम आलौच्य आदेश में कोई दखल दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य